न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 18/2019 निर्णय दिनांक 3.1.2020

दुर्गादेवी पत्नी छगनलाल मीणा निवासी रानी बाजार, बीकानेर

————प्रार्थी

बनाम

1 केशरदेवी पत्नी मोटगिरी गुसाई निवासी जैतासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 2 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

——अप्रार्थीगण

उपस्थिति–

1. श्री नारायण पंवार अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से ।
2. श्री सुनील पंवार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दुर्गादेवी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 915 तादादी 4.81 हैक्टयर वाके रोही जैतासर तहसील श्री डूँगरगढ में स्थित है । प्रार्थीनी के इस खेत के पश्चिमी दक्षिणी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1190/916 तादादी 5.11 हैक्टयर स्थित है । अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1190/926 में से उक्त खेत की दक्षिण पूर्वी दिशा में सींव के पास पास से होकर एक प्रचलित गंवाई रास्ता प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 915 में जाता है । उक्त गंवाई प्रचलित रास्ता पिछले काफी सालों से चला आ रहा है । इसप्रचलित रास्ता में से प्रार्थीनी व प्रार्थीनी के परिवार के सदस्य पिछले काफी वर्षो से अपने खेत में आते जाते रहे है । अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से जो यहरास्ता जाता है अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के दक्षिणी पूर्वी दिशा मेंसे सींव के पास पास से हाकर जाता है जिसकी दूरी लगभग 590 फुट लम्बाई तथा इस रास्ते की चौंडाई 10 फुट है । यह रास्ता शुरू से ही चला आ रहा है । यही एक मात्र रास्ता है जिससे प्रार्थीनी व उसके परिवार के सदस्य अपने खेतों में आवागमन करते है । इस रास्ते के अलावा प्रार्थीनी के उक्त खेतों में आवागमन हेतु कोई सुगम व सुलभ रास्ता नहीं है । प्रार्थीनी के उक्त खेत में जाने के रास्ते को अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पति अपने खेत में से बंद करते रहते है व प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को आने जाने से रोकते है । अप्रार्थी संख्या 1 व उसे पति ने वर्णित रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है । जिसको खुलवाने के लिए प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण को निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के खेत के रास्ते को खोल नहीं रहे है तथा वार वार रास्ते को अवरूद्ध करते रहते है । प्रार्थीनी के खेत खसरा नम्बर 915 का विद्यमान रास्ता जो अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1190/916 के दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवेश करता है जिसकी लम्बाई (अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की हद तक करीब) 590 फुट व चौडाई 10 फुट है । प्रार्थीनी के खेत को दर्शाते हुये नक्शा सीट मैट्रिक संलग्न किया जा रहा है । जिसमें ए से बी प्रचलित रास्ता जो अप्रार्थी संख्या 1 के खेत से गुजरता हुआ दर्शाया गया है जो रास्ता प्रार्थीनी के खेत में प्रवेश करता हुआ रास्ता दर्शाया गया है यही रास्ता प्रार्थीनी के खेत में जाता है जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थीनी के खेत में जाने का एक मात्र रास्ता है । वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है । उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीनी के खेत कि पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । वर्णित रास्ता से ही प्रार्थीनी अपने खेतों में आवागमन करती है । प्रार्थीनी के खेत का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1190/916 तादादी 5.10 हैक्टयर रोही जैतासर में से दक्षिणी पूर्वी दिशा से होकर प्रचलित रास्ता से प्रार्थी के खेत में प्रवेश

Scanned by CamScanner

करता है जिसकी लम्बाई करीब 590 फुट व चौडाई 10 फुट है जिसका क्षेत्रफल 5900 वर्गफुट है जिसको प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य शुरू से ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ते के क्षेत्रफल की सरकारी डीएलसी रेट या ऐसे प्रतिकर संदाय करने को तैयार है जो न्यायालय द्वारा अवधारित किया जायें । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी के नाम से खेत खसरा नम्बर 915 तादादी 4.91 हैक्टयर वाके रोही जैतासर का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1190/916 के में से दक्षिणी पूर्वी दिशा से गुजरता हुआ प्रार्थी खेत तक लगभग 590 फुट लम्बा व 10 फुट चौडा कुल 5900 वर्गफुट या बाद रिपोर्ट जितनी लम्बाई का रास्ता मौका पर पाया जावे उस रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1190/916 रोही जैतासर तहसील श्री डूँगरगढ में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर रास्ता देने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को आदेश फरमाया जावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से जबाब पेश हुआ कि प्रार्थीनी ने अपने खेत में जाने का जो रास्ता मांगा है वह रास्ता मुझ अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1190/916 रोही जैतासर में से जाता है वह रास्ता प्रार्थीनी को आवागमन के लिये दिया जाता है तो अप्रार्थी प्रार्थीनी को उक्त रास्ता बिना किसी प्रतिफल के आवागमन के लिये देना चाहती हूँ । इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि रोही ग्राम जैतासर के खसरा नम्बर 1190/916 से गुजरने वाले चालानी रास्ते से खसरा नम्बर 915 में पहुंचने के लिये 592 फुट लम्ब व 10 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 1190/916 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 915 में प्रवेश करता है जिसकी तादादी 0.0560 हैक्टयर बनती है । अतः तद्नुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है । इसके अलावा प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है । नजरी नक्शा संलग्न है । अतः प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है ।

बहस सुनी गई । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया । अप्रार्थी एवं स्टेट को प्रार्थी को रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

ग्राम जैतासर के खसरा नम्बर 1190/916 से गुजरने वाले चालानी रास्ते से खसरा नम्बर 915 में पहुंचने के लिये 592 फुट लम्ब व 10 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 1190/916 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होकर खसरा नम्बर 915 में प्रवेश करता है जिसकी तादादी 0.0560 हैक्टयर बनती है । रास्ते को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को दिये जाते है । उक्त रास्ते के अंकन के लिए अप्रार्थी को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा । तहसीलदार तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें ।

आदेश आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार नयोल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2020.02.10 11:23:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: